उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या: 5-2016-871/छप्पन-2015-15/2015

लखनऊ: दिनांक: 08 जनवरी, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या-662/छप्पन-2015-15/15, दिनांक 05 जवनरी, 2016 द्वारा रमाबाई अम्बेडकर स्थल, बिजनौर रोड़, लखनऊ स्थित अतिविशिष्ट अतिथिगृह से सम्बन्धित कार्यों के सुचारू रूप से निष्पादन हेतु विशेष कार्याधिकारी का एक निःसंवर्गीय अस्थायी पद सृजित किया गया है, जिसके सापेक्ष श्री रवि विक्रम सिंह को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 31.07.2016 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनर्नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) श्री रवि विक्रम सिंह को अस्थायी सरकारी सेवक माना जायेगा।

(2) पुनर्योजन की अवधि में श्री रवि विक्रम सिंह को वह नियत वेतनमान अनुमन्य होगा जो उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) को घटाने के बाद आये अथवा पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, इनमें जो भी कम हो से अधिक न होगा। इस प्रकार निर्धारित वेतन तथा शुद्ध पेंशन के योग पर महंगाई भत्ता अनुमन्य होगा। पुनर्योजन की अवधि में पेंशन पृथक से महंगाई राहत अनुमन्य नहीं होगा।

(3) श्री रवि विक्रम सिंह को उक्त अवधि में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के सहायक निमय 157-ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अस्थायी अधिकारियों की भांति अवकाश देय होगा परन्तु उक्त अवधि में अर्जित अवकाश का नगदीकरण अनुमन्य नहीं होगा।

(4) उक्त अवधि की गणना पेंशन के लिए नहीं की जायेगी तथा पद कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(5) उक्त अवधि में श्री रवि विक्रम सिंह को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होगी जैसाकि यात्रा भत्ता नियम-16ए में प्राविधान है, अन्तिम आहरित वेतन के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगें।

(6) श्री रवि विक्रम सिंह को उक्त अवधि में अस्थायी तदर्थ पेंशन की वृद्धि व राहत, यदि कोई हो, अनुमन्य होगी।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) उक्त निःसंवर्गीय पद की प्रास्थिति मुख्य व्यवस्थाधिकारी के पद के समकक्ष होगी और श्री रवि विक्रम सिंह को वही सुविधाएं अनुमन्य होगी, जो उन्हें सेवानिवृत्ति के समय अनुमन्य थी।

2- उपर्युक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय संगत वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव- 03-नागरिक उड्डयन निदेशालय की सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-सा-3-22/दस-2016, दिनांक 08 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

एस0के0 रघुवंशी
सचिव।

पृ0सं0: 5-2016-871(1)/छप्पन-2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- श्री रवि विक्रम सिंह, विशेष कार्याधिकारी पदेन मुख्य व्यवस्थाधिकारी द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।